

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Chhaya Verma.

**Demand to extend benefits of OBCs to the women after their
inter- State marriage**

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): किसी भी राज्य की एक लड़की किसी अन्य राज्य के उसी जाति के लड़के से विवाह करती है और वह जाति दोनों राज्यों में ओ.बी.सी. वर्ग में आती है, तो उसके बावजूद भी यदि वह लड़की शादी के पश्चात् अपने पति के राज्य में राज्य सरकार की किसी सरकारी नौकरी में ओ.बी.सी. वर्ग के तहत आवेदन करती है, तो उसे ओ.बी.सी. वर्ग का लाभ नहीं मिलता। मान लीजिए हरियाणा की कोई लड़की दिल्ली के उसी जाति के किसी लड़के से शादी करती है और उस जाति को दोनों राज्यों में ओ.बी.सी. वर्ग में मान्यता प्राप्त है, उसके पश्चात् भी उसे दिल्ली सरकार की नौकरियों में उस वर्ग का लाभ नहीं मिलता। इसका तात्पर्य यह भी है कि उस महिला को, जो कि सारी उम्र अपने ससुराल में गुजारने वाली है, जीवन-पर्यन्त उस वर्ग में सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही, शादी के पश्चात् किसी भी महिला की आर्थिक स्थिति उसके पति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है, लेकिन ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र के लिए उसका सत्यापन उसके मायके में पिता की आय से किया जाता है, जो कि एकदम अनुचित एवं निराधार है। अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के विसंगतिपूर्ण नियमों में परिवर्तन किया जाए तथा उन समस्त महिलाओं को ओ.बी.सी. में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जहां उन्हें बाकी का जीवन बसर करना है, धन्यवाद।

STATUTORY RESOLUTIONS – Contd.

Cessation of all Clauses of Article 370 except Clause (1)

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019

AND

GOVERNMENT BILLS — (Contd.)

The Jammu and Kashmir Re-organisation Bill, 2019

**The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment)
Bill, 2019**

श्री सभापति: अभी माननीय गृह मंत्री जी।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order under Rule 258. From 11 a.m. this morning, we have been seeing procedural hara-kiri; we have been witness to constitutional immorality. This is happening.

MR. CHAIRMAN: What is the point of order?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it is under Rule 258. Sir, on behalf of Trinamool Congress, we cannot see this constitutional immorality and *hara-kiri* of procedures any more. Our MPs themselves are now stuck midway because of a certain thing. Sir, on these two important grounds, in anguish, we walk out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MR. CHAIRMAN: To whom should I express my anguish about Members coming and squatting here? I can only talk out; I cannot walk out. Now, the hon. Home Minister.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): सभापति महोदय, मैं आज इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूँ, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ genuine concern भी सदन के पटल पर रखे हैं और कुछ ने अपनी पार्टी की विचारधारा की लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर, मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि as a legislator मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत, धारा 370 के समाप्त होने से होने जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसके विषय पर जाने से पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, मैं डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूँ, जो कश्मीर के अंदर वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2018 तक जो रक्तपात चला, उसकी भेंट चढ़ गए। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसका हिसाब कौन देगा? अंततः क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है? मुझे बहुत स्पष्ट है कि 41,849 लोगों की जान नहीं जाती, अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग-अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35(A) पर बहुत सारी बातें कही, मगर ज्यादातर बातें technicality पर कही। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह... वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है, वह किसी ने भी नहीं बताया है। मगर, मैं सबसे पहले... मैं सब चीजों को डील करूंगा, परंतु सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। मान्यवर, धारा 370 के रहते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 35(A) और धारा 370 के जाने से क्या हो जाएगा? मान्यवर, मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रचना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान

से शरणार्थी आए - कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र में गए, कुछ जम्मू-कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू-कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली, वे वहां councillor भी नहीं बन सकते हैं। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? यह अन्याय है या नहीं? मान्यवर, इस देश में क्या हुआ - इस देश को दो प्रधान मंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए - डा. मनमोहन सिंह और श्री इंदर कुमार गुजराल साहब। कोई प्रधान मंत्री तो बन सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में जिसने शरण ली, वह councillor भी नहीं बन सकता है - यह कहां का न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यह कहां का न्याय है? यह अन्याय क्यों हो रहा है? मान्यवर, ये कहते हैं कि धारा 370 और 35ए चली जाएगी, तो कयामत आ जाएगी और धारा 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बारे में बाद में बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कभी-भी लोकतंत्र percolate नहीं हुआ। धारा 370 और 35ए के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, फला-फूला, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। धारा 370 और 35ए के कारण ही वहां गरीबी घर कर गयी। आज पूरे देश में विकास दिखायी देता है, लेकिन घाटी के गांवों को देखते हैं तो हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी वे क्यों गुरबत में जी रहे हैं, क्यों गरीबी में जी रहे हैं। मान्यवर, वहां पर आरोग्य की भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, उसका कारण भी धारा 370 है। वहां पर जो विकास नहीं हुआ, जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधक भी धारा 370 है, आज शिक्षा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, उसका भी कारण धारा 370 है। मान्यवर, यह धारा 370 महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी यही धारा 370 है।

मान्यवर, मैं अभी सामने देख रहा हूं, लेकिन मैं सभी चीजों का डिटेल्ड जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, देश में लागू हुआ। लेकिन चूंकि धारा 370 थी, इसलिए वह जम्मू-कश्मीर में apply नहीं हुआ। स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी उसे लेकर आए थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में वह apply नहीं हुआ। जब आज़ाद साहब मुख्य मंत्री थे, तब भी नहीं कर पाए - क्यों नहीं कर पाए - क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां consensus नहीं बन पा रहा था। मान्यवर, वहां पर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। आज भी वहां पर 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज यह सदन इसे पास करेगा, कल लोक सभा पास करेगी और 73वां और 74वां संशोधन automatically जम्मू-कश्मीर में apply हो जाएगा।

मान्यवर, वहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर और लेजिस्लेटर सुन रहे हैं - 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन पर क्यों भरोसा

[श्री अमित शाह]

नहीं था - मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 हजार से ज्यादा पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार धारा 370 है। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन आया। राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू-कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए और आज 40 हजार पंच-सरपंच गांव की सेवा-सिद्धि कर रहे हैं, उनके हाथ में 3,500 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। यह अधिकार उन्हें नहीं मिला था, लेकिन कोई नहीं बोलेगा।

वोट बैंक की राजनीति करते हैं। घाटी में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? घाटी में मुसलमान भी रहते हैं, हिन्दू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। मान्यवर, तीन परिवारों के शासन ने जम्मू-कश्मीर में एकाधिकार करके रखा है। जम्मू-कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को percolate नहीं होने दिया और आज राष्ट्रपति शासन के अंदर, प्रधान मंत्री जी अगुवाई में वहां पर चुनाव हुए और 40 हजार पंच, सरपंच आज वहां काम कर रहे हैं। चुनाव में खून की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरी। चुनाव शांतिपूर्ण हुए और 5-5 परसेंट, 7-7 परसेंट वोट लेकर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वहां पर 50-50 प्रतिशत voting हुई। यह बात बताती है कि जम्मू-कश्मीर की जनता जम्हूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी, मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू-कश्मीर का कितना नुकसान किया है।

मान्यवर, मैंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की गरीबी के लिए धारा 370 जिम्मेदार है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। यह 2,77,000 करोड़ रुपया नरेन्द्र मोदी पैकेज के अलावा है। मान्यवर, जब हम देखते हैं, तो जमीन पर कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात पर बाद में आता हूँ कि क्यों कुछ नहीं हुआ। मगर 2011 और 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3,683 रुपया भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा गया, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों को वहां एंट्री नहीं है। उन्हें कौन रोकता है? उन्हें धारा 370 रोकती है।

मान्यवर, 2017 से 2018 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा था और जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया था, मगर यह नीचे तक नहीं जाता है, क्योंकि धारा 370 ने मोनोपॉली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिज़नेस कर सकता है। बंद लोग जो इन तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की agencies ले ली, लोहे की agencies

ले ली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि सीमेंट वहां पर देश के अन्य हिस्सों से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी को वहां बिज़नेस करने की परमिशन नहीं है। वहां स्पर्धा ही नहीं होती है। इन तीन परिवारों का आशीर्वाद जिस पर होता है, वही बिज़नेस कर पाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो धारा 370 की वकालत करते हैं कि यह रुपया कहां गया?

जम्मू-कश्मीर बैंक के अंदर auditor गया, administrator रखा, तो मैंने अच्छे-अच्छे के चेहरों पर सर्दियों में पसीना देखा है। यह जो हो-हल्ला हो रहा है, वह जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है और जांच शुरू हुई है, इसलिए हो-हल्ला हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको एक अलग रंग देना चाहते हैं।

मान्यवर, घाटी के व्यक्ति को क्या मिला? देश आजाद हुआ, देश भर में एक एकड़ जमीन की average कीमत 3 हजार रुपये थी। वह देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गई, कई हिस्सों में 10 लाख हो गई और कहीं पर 3 करोड़ हो गई। शहर के आसपास कहीं पर भी जमीन का दाम 10 लाख से कम नहीं है। आज जम्मू-कश्मीर में जमीन का क्या भाव है? जमीन की कीमत 3 हजार से 30 हजार भी नहीं हुई। जिसके पास भूमि है, उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वहां खरीदार ही नहीं हैं, वहां कोई खरीद ही नहीं सकता है। जब कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो भला दाम कहां से बढ़ेगा! मैं पूछना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है, उसको आप गरीब क्यों रखना चाहते हो? आप उसकी wealth को क्यों नहीं बढ़ाते हो? अभी राम गोपाल जी भी कह रहे थे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ के आसपास जमीन का कितना भाव हुआ है? कितना रेट हो गया है? तो राम गोपाल जी, क्या श्रीनगर वाले को अधिकार नहीं है क्या? क्या हमें उसे अधिकार नहीं देना है? उसको क्यों रोक कर रखना है? मान्यवर, वहां जो गरीबी बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35(A) है। वहां पर अथाह भ्रष्टाचार हुआ है। जो करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वहां पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाला कोई कानून apply नहीं होने दिया, जिसकी वजह धारा 370 है।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख, जमीन पर स्वर्ग है, मुगल काल से सभी लोग यह मानते हैं। मगर जितना पर्यटन बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा। वहां पर बर्फ भी है, तालाब भी हैं, घाटी भी है, वन भी है। वहाँ पर्यटन की अपार और अथाह संभावनाएं भरी पड़ी हैं, मगर वहाँ पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहाँ भूमि ही नहीं खरीद सकता है। वहाँ भला कौन जाएगा? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने किया है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहाँ जाना चाहती हैं, अच्छे-अच्छे होटल लगाना चाहती हैं, बहुत बड़ी ट्रेवल कंपनियाँ वहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं, घाटी के अंदर इनको खोलना चाहती हैं। यदि खुल गई, तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वह टैक्सी चलाएगा, वहाँ नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा, परंतु वहाँ पर्यटन इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि धारा 370 गई बड़ी कंपनी के कारण कोई बड़ी ट्रेवल एजेंसी वहाँ जा नहीं सकती, कोई बड़ी कंपनी होटल भी नहीं बना सकती है।

[श्री अमित शाह]

महोदय, वहाँ हजरतबल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है। वहाँ पर ढेर सारी रिलिजियस टूरिज्म की संभावनाएं भी पड़ी हैं, मगर इन सभी संभावनाओं का ढंग से दोहन नहीं हो पाता, वे एक्सप्लोर नहीं हो पाती, उनका विकास भी नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो मुझे जरा समझा दें धारा 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैटूंगा कि वह कैसे लगाएगा? बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई वहाँ जाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगाना चाहे, पंजाब से जाकर, हिमाचल प्रदेश से जाकर लगाना चाहे, तो वहाँ 35ए और 370 है, वह वहाँ कैसे लगाएगा? क्यों आप मोनोपॉली में आज भी कश्मीर को जकड़कर रखना रखना चाहते हैं?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको 370 का स्वप्न दिखाते हैं, 370 से घाटी का, उन युवाओं को कोई भला नहीं होने वाला है, केवल कुछ सियासतदारों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियन्स का भला होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि घाटी को कोई फायदा नहीं हुआ है उसका। कोई मुझे गिना दे कि क्या फायदा है, समझा दे कि क्या फायदा है? हाँ, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा, 370 चालू रखो, रोजगार मिल जाएगा, 370 चालू रखो, तनख्वाह, जो 5 हजार मिलती है, वह 15 हजार हो जाएगी, 370 चालू रखो।

संस्कृति, भाषा की बात की जाती है! बाकी सारे राज्यों की इतनी सारी रियासतें जुड़ गईं, सबकी संस्कृति, भाषा विलुप्त हुई हैं क्या? क्या विलुप्त हुई हैं भारत में? क्या आज महाराष्ट्र की नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची? मान्यवर, मैं इस पर बाद में आता हूँ।

महोदय, आज वहाँ पर आरोग्य, हेल्थ का भी खस्ता हाल है। क्योंकि जिस प्रकार से देश भर में आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से अकेली सरकारें इस देश की हेल्थ को अप टू दि मार्क नहीं रख सकती हैं। महोदय, कई जगहों पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया है, कई जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाया गया है, मगर यहाँ न पीपीपी मॉडल हो सकते हैं, न प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। अगर किसी के प्रभाव से चले जाएं, तो चले जाएं, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है, तो कोई कैसे जाएगा? क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम। आज प्रधान मंत्री आयुष्मान् भारत योजना आ गई है, मगर अस्पताल कहाँ हैं? पाँच लाख रुपये उपयोग करने का अधिकार मिल गया है, लेकिन नर्स कहाँ है, डॉक्टर कहाँ हैं? वहाँ 35 ए है, कौन डॉक्टर वहाँ जाएगा? उसके बच्चे को न वहाँ मताधिकार प्राप्त है, न वह अपना मकान खरीद सकता है, न अपनी भूमि खरीद सकता है और न ही ढंग से वहाँ रहकर अपना मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकता है। विश्व का कौन-सा बड़ा डॉक्टर वहाँ जाकर रहेगा, मुझे जरा धारा 370 की वकालत करने वाले बताएं? मुंबई से कौन-सा डॉक्टर वहाँ जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर्स जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के

जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के, देश भर के डॉक्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर घर खरीदने की परमिशन है। वह डॉक्टर वहाँ पर अपने आपको सेफ महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं चार पैसे कमाऊंगा, यहाँ इनवेस्ट करूंगा, तो वे सलामत हैं। मान्यवर, वहाँ कोई नहीं जाता, जिसके कारण आरोग्य पर भी जो ढेर सारी कमियाँ दिखती हैं, उसका मूल कारण भी यह 370 ही है।

महोदय, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे मैं यह आंकड़ों के साथ, बहुत डिटेल् में भी बता सकता हूँ। मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी आज़ाद साहब को आंकड़े भेजने भी वाला हूँ कि आप भी देखिए, जरा पुनर्विचार कीजिए, अभी भी समय है।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहूँ, तो देश भर के 6-14 साल के बच्चों को 2009 में ही शिक्षा का अधिकार मिल गया था। संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, लेकिन यह आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे, जो लोग 370 के लिए बोलते थे, चाहे कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे चिदंबरम साहब हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, कहना चाहता हूँ कि क्यों कश्मीर घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के advocates को देना है। उनको वह अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने यहाँ संविधान में जो सुधार किए, उनको वहाँ स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। अगर कल लोक सभा इसको पारित करती है, तो शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू-कश्मीर के हर बच्चे को मिल जाएगा।

मान्यवर, वहाँ पर private educational institutions नहीं हैं। वे क्यों वहाँ जाएँगे? कौन प्रोफेसर वहाँ पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? उसके नाम पर तो सम्पत्ति ही नहीं हो सकती। Appreciation होगा, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। भला कौन वहाँ जाएगा? आप इसको क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं? कारण क्या है, मैं नहीं समझ पाता।

मान्यवर, इस प्रस्ताव के विरोध का कोई कारण हो, तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमने यह नहीं किया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम तो राष्ट्र हित का बिल लेकर आए थे, आपने इन्दिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लाकर उसी दिन पारित कर इस देश की democracy को खत्म किया और हमें उपदेश देते हैं! मान्यवर, मैं बताता हूँ कि मैं तो जिस बिल को pilot करके आया हूँ, उस बिल के अन्दर मैं मानता हूँ कि मतभेद हो सकता है। मैं मानता हूँ कि 370 और 35-A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और सच्चे अर्थ में जम्मू-कश्मीर 370 और 35-A हटने के बाद भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया कि Schedule 1 में जम्मू-कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर राज्य है, वह तो मैं मानता हूँ, मगर मुझे बताइए कि भारत के दोनों सदन, जो कानून पारित करते हैं, क्या वह जम्मू-कश्मीर में apply होता है? क्या जम्मू-

[श्री अमित शाह]

6.00 P.M.

कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है? सरकारें, सरकार चलाने के लिए कानून नहीं बनाती हैं, सरकारें नागरिकों के भले के लिए कानून बनाती हैं। अगर नागरिकों के भले के लिए इस देश की संसद ने, दोनों सदनों ने कोई कानून पारित किया, तो वह वहाँ पहुँचता ही नहीं है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे कहा, मुझे address करके कहा कि Inter-State शादियाँ होने लगी हैं। अब साहब सुनते ही नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, थोड़ा सुन लें। मान्यवर, उन्होंने कहा कि Inter-State शादियाँ हो रही हैं। मुझे बताइए कि जम्मू-कश्मीर की एक बच्ची ने किसी ओड़िया भाषी से शादी कर ली, तो क्या उसको और उसके बच्चों को कश्मीर में कोई अधिकार मिलता है क्या? आप खुश हो रहे हैं कि शादियाँ हो रही हैं। ये शादियाँ तो कानून नहीं है, फिर भी हो रही हैं, एक बार खुला कर दो, जम्मू और कश्मीर सच्चे अर्थ में हिन्दुस्तान के साथ घुल-मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। एक mental barrier है, यह वोट बैंक की राजनीति है। खामखाह कुछ लोग बोझ लेकर घूमते रहते हैं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, मान्यवर, कुछ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, वहाँ शिक्षा के अधिकार को ले जाना है, तो भी 370 नहीं चाहिए; महिलाओं के सारे अधिकार के जो कानून बने हैं, अगर महिलाओं को और उनके बच्चों को अधिकार देना है, तो भी 370 नहीं चाहिए। मान्यवर, यह 370 दलित और आदिवासी विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ कितने परसेंट OBCs हैं? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राम गोपाल यादव जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी तो OBC की खेरखाह पार्टी है, हमेशा बात करती है। राम गोपाल यादव जी, आपको मालूम है कि कश्मीर में OBCs को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है।

Tribals को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता है, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसीलिए आज बहन मायावती जी की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, वह इसके पक्ष में वोट डालेगी। मैं मिश्रा जी को सुन रहा था। मान्यवर, हम कब तक इनके साथ अन्याय करेंगे? ये जो tribals हैं, ये सिर्फ हिन्दू नहीं हैं। जो कहते थे वोट बैंक, वोट बैंक, भाई, वे तो गुर्जर हैं, मुस्लिम गुर्जर हैं। उनको भी रिजर्वेशन से वंचित किया गया है। कोई यह तो समझा दे कि प्राप्त क्या होगा? बिल 11.00 बजे लिया, 11.00 बजे चर्चा कर ली।

जब 11.00 बजे बिल लिया, तो कहा गया कि 11.00 बजे चर्चा कर ली। धारा 370 के लिए बिल लाए, तो कहा गया कि आप ऐसे ही बिल बदल देते हो। फिर कहा गया कि यह constitutionally ठीक नहीं है। साहब, मुझे भी मालूम है कि कुछ पार्टियों ने NGOs की brigade बनाकर रखी है और ये इस बिल को चैलेंज करेंगे, यह बात मुझे मालूम है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी legal scrutiny से इस बिल को कुछ नहीं होने वाला है। हर legality इसमें दी गई है।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर के दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स, इनके लिए आज तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसका कारण भी धारा 370 ही है।

मान्यवर, अब मैं आतंकवाद पर आता हूँ। वहाँ पर आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर पहुँचा, लेकिन अब धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। हमें आतंकवाद की जड़ में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धारा 370 के भूत ने समय-समय पर वहाँ अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन को गुमराह करके एक नाराज़गी की भावना खड़ी की और पाकिस्तान ने उस नाराज़गी की भावना का उपयोग किया। देश के बाकी राज्यों की तुलना में, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मान्यवर, आज तक आतंकवाद के कारण वहाँ 41,894 लोग मारे जा चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वे क्यों मारे गए हैं? आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। चलो, यह एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया? किसकी पॉलिसी के कारण 41,894 लोग मारे गए? पॉलिसी किसी ने नहीं बदली। जो पॉलिसी जवाहर लाल जी चालू करके गए थे, वही पॉलिसी आज तक चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ इतने लोग क्यों मारे गए?

मान्यवर, स्वायत्तता की मांग उठी। तीन युद्ध हारने के बाद 1968 में पाकिस्तान के जनरल ज़िया उल हक़ ने Operation Tupac को स्वीकृति दी, उसके अंदर भी धारा 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि ऐसे गुप खड़े करिए, जो कश्मीर के युवाओं को गुमराह करें और उन्हें भारत की mainstream से अलग करें और जब तक 370 कलम है, तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता है।

1988 में Operation Tupac की शुरुआत हुई और 1989 से घाटी में आतंकवाद शुरू हो गया। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो पाक प्रेरित गुप्स हैं, आतंकवादी हैं, वे तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता है और क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात में भी तो पाकिस्तान का बॉर्डर है! क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता है? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता है? बाकी प्रदेशों के युवा इसलिए गुमराह नहीं होते, क्योंकि वहाँ धारा 370 नहीं है, वहाँ कोई अलगाववाद का भूत नहीं है।

मान्यवर, समय-समय पर, जब भी आतंकवाद खत्म होने के कगार पर आता है, कुछ लोग धारा 370 को लेकर वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि कश्मीर के युवाओं को हुर्रियत, आईएसआई और घुसपैठियों ने गुमराह किया है, यही कारण है कि 1990 से 2018 तक, वहाँ 41,894 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है।

[श्री अमित शाह]

फिर कहा गया कि रक्तपात हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ऐसी शुभकामनाएं क्यों देते हैं? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में आपको तो कहना चाहिए कि चलो, सब अच्छे से हो, शांति से हो। जो आप कह रहे हैं, उससे घाटी में क्या संदेश जाएगा? आप यहां खड़े होकर यह कह रहे हैं कि रक्तपात हो जाएगा, क्या ऐसा कहना उचित है? क्या यह सदन और हम वहां रक्तपात कराना चाहते हैं? इस सदन के माध्यम से हम घाटी में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि आप 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में जीते रहो? क्या वहां के लोगों को 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का अधिकार नहीं है?

साहब, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोग उकसाते हैं, उन सबके बेटे-बेटियां लंदन और अमरीका के अंदर पढ़ाई करते हैं। ज़रा वे भी वही रहकर वहां के स्कूल के अंदर पढ़ें, ज़रा वे भी वहां के कॉलेज के अंदर पढ़ें, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि धारा 370 क्या है। धारा 370 के जितने भी एडवोकेट्स हैं, ज़रा आप उनसे पूछिए कि उन सबके बेटे-बेटियां कहां पढ़ते हैं? उन्होंने तो अपने सब काम अच्छे से कर लिए हैं, इसलिए उनको इसकी चिंता नहीं है। घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, उनका विकास न होने देने के लिए यह धारा 370 एक बहुत बड़ी बाधा है।

मान्यवर, मैं स्पष्टता से मानता हूँ कि जब तक धारा 370 और धारा 35ए हैं, कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, धारा 370 का हटना निहायत जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वे लोग घाटी के युवाओं को अपने गले लगाना चाहते हैं। हम युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएँ देना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्री लगेगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ टूरिस्ट्स जायेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा। हम उनको सम्पन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अन्दर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर के अन्दर भी विकास हो, इसके लिए धारा 370 का obstacle निकालना जरूरी है।

मान्यवर, मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था कि चिन्ता मत करो, धारा 370 धिसते-धिसते धिस जायेगी, मगर धारा 370 को इतने जतन से सम्भाल कर रखा कि 70 साल हो गये, मगर वह नहीं धिसी। अब आप मुझे बताइए, यह एक temporary provision है, इसे सब स्वीकार करते हैं, क्या 'temporary' शब्द 70 सालों तक चल सकता है? यह कब जायेगा, कैसे जायेगा? इस temporary provision को कब तक चलाना है? मान्यवर, मेरा तो आग्रह है कि इस प्रकार की बातों को आपको रिकॉर्ड से दूर कर देना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरदार पटेल ने देश के अन्दर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़ कर अखंड भारत बनाने का प्रयास किया और मैं रिकॉर्ड साफ कर दूँ कि जम्मू-कश्मीर को कभी सरदार

पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ को डील किया था, जो आज भारत में है, without 370 है। उन्होंने हैदराबाद को डील किया था, जो आज भारत में है, without 370 है। जम्मू-कश्मीर को पंडित नेहरू ने डील किया था, वह with 370 है और आज हम भी डील कर रहे हैं। सरदार पटेल के पास यह मसला था ही नहीं। मैं अपने मंत्रालय की फाइल ... (व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): That is not correct.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर ... (व्यवधान) ... जो Constituent Assembly थी, उसमें आयोग और सरदार पटेल 370 के मामले में बराबर बात करते थे। ... (व्यवधान)...

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر ... (مداخلت) ... جو کانسٹی ٹوئنٹ اسمبلی تھی، اس میں آئیگر اور سردار پٹی 370 کے معاملے میں برابر بات کرتے تھے ... (مداخلت)...

श्री अमित शाह: नहीं, मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) ... एक मिनट, एक मिनट। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: पाकिस्तान को देने के लिए जो कहा गया, वह विषय...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ। गुलाम नबी आज़ाद जी ध्यान से सुनते नहीं हैं। शायद ये मेरी बात सुन कर rethinking करें। 370 के पक्ष में वोट डालना है, इसलिए ध्यान से वे सुन नहीं रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह नहीं कहा कि Constituent Assembly में किसने क्या कहा। इस मामले को कौन देख रहा था, यह मैंने कहा। इसमें कहीं सरदार पटेल साहब का जिक्र ही नहीं है, दखल भी नहीं था। ... (व्यवधान) ... मैं आपको बताता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: बिल्कुल दखल था। ... (व्यवधान)...

† [جناب غلام نبی آزاد: بالکل دخل تھا ... (مداخلت) ...]

श्री अमित शाह: ज़रा भी दखल नहीं था।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: क्या बात है! पंडित नेहरू अमेरिका में थे और 370 ... (व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: کئی بات ہے! پنڈت نہرو امریکہ میں تھے اور 370 ... (مداخلت)...

श्री अमित शाह: मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: 370 डिस्कस होता था। ... (व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: 370 ڈسکس ہوتا تھا۔

श्री अमित शाह: अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आयांगर, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद 370 के बारे में बात करते थे। ... (व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: آئیگر، سردار پٹیل اور مولانا آزاد 370 کے بارے میں بات کرتے تھے۔۔۔ (مداخلت)...

श्री सभापति: विषय 370 के बारे में नहीं है। ... (व्यवधान)...

श्री अमित शाह: मैं 370 के बारे में कह ही नहीं रहा हूँ। मैं भारतीय संघ के साथ संधि के बारे में कह रहा हूँ। ... (व्यवधान)...

मान्यवर, मेरा विनम्रता से यह कहना है कि धारा 370 जो है, यह आतंकवाद की जननी है, इसलिए धारा 370 के जाने का समय आ गया है। अगर आज धारा 370 नहीं जाती है, तो आतंकवाद को हम जम्मू-कश्मीर से नाबूद नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, कुछ लोगों ने कहा कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है। अगर spirit से देखा जाये, तो वे ठीक हैं, मगर मैं दो तिथियों का जिक्र करना चाहता हूँ। महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर, 1947 को Instrument of Accession of Jammu-Kashmir में साइन किया गया। वह कब साइन किया गया, 26 अक्टूबर, 1947 को और धारा 370, 1949 में आयी। मान्यवर, भारत के साथ जुड़ाव का धारा 370 से कोई लेना-देना नहीं है। यह भ्रामक प्रचार किया गया है।

मान्यवर, कहते हैं कि धारा 370 नहीं रहेगी, तो जम्मू-कश्मीर भारत से अलग हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे अलग हो जायेगा। मैं घाटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारी रियासतें थीं। वे 370 के बगैर, 35ए के बगैर भारत के साथ घुल-मिल गयी हैं, मगर सबने अपनी-अपनी संस्कृति बनाकर रखी हैं। महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा भी सम्भाल कर रखी है, तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा को भी वे प्रोटेक्ट करते हैं, तेलुगू राज्यों ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी है, अपनी भाषा को भी सम्भाल कर रखी है। धारा 370 कहाँ से और किस प्रकार से आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करती है,

यही मेरी समझ में नहीं आता है। वह केवल और केवल 3 सियासतदानों के परिवारों को प्रोटेक्ट करता है। वे यह नहीं चाहते हैं कि 370 हट जाए। धारा 370 को पूरे देश में वोट बैंक का मुद्दा बनाया गया था। गुलाम नबी साहब ने कहा कि आज तो बम फूट गया, धारा 370 और 35-ए से संबंधित बिल लाकर हमने बम फोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं, 1950 से लगातार मेरी पार्टी के हर घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम धारा 370 को हटाएंगे। इस बार के घोषणा पत्र में भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि यह धारा जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं है; भारत के हित में नहीं है और विशेषकर घाटी के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि धारा 370 तुरन्त हटनी चाहिए।

मान्यवर, 1964 में जब लोक सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी, चर्चा में भाग लेते हुए राम मनोहर लोहिया जी ने, आपके माध्यम से मैं राम गोपाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं लोहिया जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जब तक धारा 370 है, तब तक भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता, एकरूपता नहीं आ सकती। मधु लिमये जी ने, सरजू पाण्डे जी ने, एस.एम. मुकर्जी ने, इन्दर मल्होत्रा जी ने, समनानी जी ने, कश्मीर से आने वाले एक मुस्लिम सांसद, अब्दुल गनी साहब ने, गोपाल दत्त जी ने, श्याम लाल सराफ ने और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी यही कहा, लेकिन उस समय सदन को स्थगित कर दिया गया। उस समय भी यही भ्रम पैदा हुआ था। दूसरे दिन, व्हिप डालकर सदन में कांग्रेस के सदस्य इसके पक्ष में वोट न करें, इसकी व्यवस्था करके, चर्चा हुई, परन्तु उस वक्त देश के गृह मंत्री, गुलजारी लाल नंदा को कहना पड़ा कि बहुत से सदस्यों की भावना है कि अभी उचित समय नहीं आया है। उचित समय आने पर हम इस विषय पर सोच-विचार करके संवैधानिक कदम उठाएंगे।

महोदय, मेरा जन्म 1964 में हुआ था और मेरी आयु के 55 साल चले गए, लेकिन वह उचित समय अब तक नहीं आया। उचित समय तब आया, जब देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी बने। ...**(व्यवधान)**... महोदय, इसमें किसी उचित समय की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, देश के हित में फैसला करने का जिगर चाहिए था और वह जिगर हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी ने दिखाया। पॉलिटिकल विल के कारण ही आज धारा 370 को सीज़ करने का प्रस्ताव लेकर मैं सदन में उपस्थित हुआ हूँ। धारा 370 का इससे पहले बहुत बार उपयोग और दुरुपयोग भी हुआ है। मैं यहां एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब देश में Emergency लगाई गई, इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आई थीं कि सारे विधायक मंडलों और संसद सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कर दिया जाए। उस समय जम्मू-कश्मीर असेम्बली ने, धारा 370 होते हुए, उस प्रस्ताव को adopt कर लिया और अपने सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कर दिया। बाद में, मोरारजी देसाई देश के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने इन फैसलों को पूर्ववत् कर दिया, 6 साल का कार्यकाल फिर से 5 साल कर दिया गया, लेकिन धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ। वहां आज भी सदस्यों का कार्यकाल 6 साल ही है। अगर इसी प्रकार आप operate करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि वह ठीक नहीं होगा।

[श्री अमित शाह]

कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी-अपनी जिज्ञासा प्रगट की। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए? मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम रिजर्वेशन का बिल लेकर इसलिए आए हैं कि इस सदन में तो आज यह पास हो जाएगा, मगर दूसरा सदन क्या रेगा, मुझे मालूम नहीं है। अगर वहां का सदन भी इसे पहले पास कर दे तो मैं रिजर्वेशन के बिल को मूव नहीं करूंगा, क्योंकि फिर रिजर्वेशन बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10 परसेंट रिजर्वेशन automatically जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिल जाएगा। स्वपन दासगुप्ता जी ने कहा कि धारा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं - मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर सभापति महोदय की आज्ञा हो तो मैं पूरी constitutional position सदन के सामने रखने को तैयार हूँ। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि कब तक यह UT रहेगा? मैं माननीय गुलाम नबी साहब और जिन अन्य माननीय सदस्यों ने UT बनने पर आपत्ति दर्ज की है... मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, इसको फिर से स्टेट बनाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। जब भी उचित समय आएगा... मगर आज जिस प्रकार के भाषण हो रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय रहेगा, क्योंकि यह भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है, तो हमें इसको कोई ज्यादा लंबा करने का शौक नहीं है और न हम करना चाहते हैं। वाइको जी ने कहा कि कश्मीर Kosovo बन जाएगा। वाइको जी, आश्वस्त रहिए, कुछ Kosovo नहीं हो जाएगा, यह स्वर्ग था, है और रहने वाला है। हम इसको Kosovo नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत कीजिए।

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): I stick to my ground.

श्री अमित शाह: आपको वही करना है। श्रीमान् तिरुची शिवा ने कहा कि बाकी सारे राज्यों के अंदर भी आप यह रूट लेंगे। मैं माननीय सदस्य शिवा जी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बाकी किसी राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है, आज़ादी के बाद ढेर सारे विभाजन हुए हैं, हमने भी किया है। हमने उत्तराखंड बनाया, आरखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया। मान्यवर, मुझे इतनी सारी सलाह देते हैं, वे आन्ध्र और तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद करके याद करें कि उन्होंने कैसे किया था। मैं तो सिर्फ आज बिल लाया और आपसे आज पारित करने का आग्रह किया। आपने अपना विशेषाधिकार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, आपकी कृपा हो गई, इसलिए मैं यह बिल पास कर रहा हूँ। तेलंगाना राज्य विधेयक के समय आपने तो सबको सदन से उठा कर बाहर डाला, दरवाजे बंद किये, टीवी बंद किया और उसके बाद आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया था, जो आज नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मत समझाइए कि किस तरह से होता है।

मान्यवर, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि कश्मीर के इस 370 को बचाने के लिए हजारों महिलाएं विधवा हुई हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए विधवाएं कम हुई हैं। विधवाएं जरूर हुई हैं। 41 हजार से ज्यादा लोग मारे गए, विधवाएं हुई हैं, लेकिन 370 के कारण हुई हैं। मैं घाटी के लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि 70 साल 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार-बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूँ कि हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पर भरोसा कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी politics के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कश्मीर के युवाओं को यह कहना चाहता हूँ कि इस 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जिस चीज को लेकर निकले, वह चीज़ ही ठीक नहीं थी।

मान्यवर, बाद में final solution के बारे में टिप्पणियाँ की गईं, मगर मैं मानता हूँ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, एक सदस्य ने कहा था कि यह कश्मीर समस्या का final solution है, मान्यवर, समय जरूर लगेगा, मगर 370 का removal ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, यह मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। चिदम्बरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं? जो constitutional order है, 367 read with 371D है। आप एक बार ध्यान से उसे देख लीजिएगा, तो constitutional order की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी।

मान्यवर, मैं आज इस भाषण के अंदर कोई politics नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे materials हैं, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बेंच और विपक्ष, दोनों के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अलग-अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने-अपने तरीके से, मन से किया है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी ने मन के बगैर किया है या आधा-अधूरा किया है। सबने मन से किया है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, इस वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं यह जो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूँ, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यही से होकर निकलेगा। मान्यवर, मुझे यह विश्वास है। मैं सभी को कहता हूँ कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाएं और कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सरकार की भी सहायता करें, कश्मीर के युवाओं की भी सहायता करें। कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं, वे सब लोग एकत्रित होकर धारा-370 हटाने का जो यह कदम हुआ है, उस कदम को हम कश्मीर की जनता के बीच में लेकर जाएं। यह सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफी सारी पार्टियाँ, आमतौर पर जो पार्टियाँ हमारे साथ नहीं रहती हैं, ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन भाषण दिया है। आप (आम आदमी पार्टी) पार्टी ने इसका समर्थन किया है, बसपा ने किया है, वाईएसआरसीपी ने किया है, टीडीपी ने किया है, बहुत सारे सांसदों ने समर्थन किया है।

[श्री अमित शाह]

...(व्यवधान)...बीजेडी ने किया है। बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए हैं और सब लोग मानते हैं। एआईडीएमके ने भी किया है। ...(व्यवधान)...

SHRI NAVANEETHA KRISHNAN (Tamil Nadu): We are 100 per cent supporting it.

श्री सभापति: जो नए जुड़े हैं, उनका नाम ले रहे हैं। आप पुराने हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं सबको यह बात भी कहना चाहता हूँ कि रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि धारा-370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। मान्यवर, जब जनता का इतना दृढ़ विश्वास है, तो आज जनता का विश्वास देखकर मेरा भी विश्वास बहुत बढ़ा है। मैं तो पहले से मानता हूँ कि कश्मीर को नॉर्मल बनाने में धारा-370 सबसे बड़ा hurdle है। मुझे यह भी मालूम है कि अगर कुछ पार्टियों ने इस पर वोट बैंक की राजनीति करना चालू किया, इसे चैलेंज करके इसके रास्ते में hurdle भी खड़े किए जाएंगे, तो सारे hurdles को पार करते हुए ये दो संकल्प, एक बिल और चौथा रिज़र्वेशन बिल, ये सभी कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे। मुझे भरोसा है कि कुछ दिनों में हम हँसता, डोलता, खिलता कश्मीर देखेंगे और वहाँ जो बम धमाके, गोलियाँ, बंदूकें और आतंकवाद पर दिख रहा है, उसकी जगह हँसते-खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलेगी और डल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा। हम ऐसे कश्मीर की रचना करेंगे। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इन दोनों संकल्पों का और दोनों बिल्स का समर्थन करिए और कश्मीर में एक अच्छा मैसेज भेजिए। इतनी करबद्ध विनती करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No. 1) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not here.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 4 also, there is one Amendment (No. 2) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ,

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put the first Resolution moved by Shri Amit Shah...
...(Interruptions)... Is this on the first Resolution? ...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, both together. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Chidambaram.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: Please, I have just called him.

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): Sir, the hon. Minister gave an elaborate reply on why he is doing away with article 35A and article 370. Now, he may have convinced a large number of people, but I am not convinced. But I am not raising that issue. What I want to ask is, doing away with article 35A and article 370 was part of your manifesto and you are bringing the Resolution, but why are you reducing the status of the State of Jammu and Kashmir to that of a Union Territory? You are carving out Ladakh as a Union Territory. Why is Jammu and Kashmir becoming a Union Territory? ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: All right. You have made your point. Shri Ghulam Nabi Azad.

श्री गुलाम नबी आजाद: सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान सिर्फ दो-तीन चीजों की ओर दिलाना चाहता हूँ, ताकि रिकॉर्ड्स ठीक रहे। ... (व्यवधान)...

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، می مائے گرہ منتری جی کا دھڑن صرف دو نئی چیزوں کی اور دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ریکارڈس ٹھیک رہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

MR. CHAIRMAN: You have to raise questions only. You know that. I need not tell you. Seek clarifications only.

श्री गुलाम नबी आजाद: सर, मैं बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी ने कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ सुलूक ठीक नहीं होता है। ... (व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: سر، می بتانا چاہتا ہوں کہ گرہ منتری جی نے کہا کہ دلت اور آدی واسیوں کے ساتھ سلوک ٹھیک نہی ہوتا ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री अमित शाह: नहीं, नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। ... (व्यवधान) ... एक मिनट। ... (व्यवधान) ... सर, ऐसा भाषण देख लिया जाए। मैंने कहा है कि इनको राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिला। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आजाद: ठीक है। वैसे सर्विसेज में आदिवासियों को 10 परसेंट रिजर्वेशन है, ... (व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: ٹھیک ہے، ویسے سروسز می آدی واسیوں کو دس فیصد رزرویشن ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री अमित शाह: एक सेकंड। सर, आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिए, मैंने "राजनीतिक रिजर्वेशन" शब्द प्रयोग किया है। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आजाद: लेकिन यह जम्मू-कश्मीर पहली रियासत है, जहाँ पोलिटिकल रिजर्वेशन होने के बगैर भी सात से आठ एससी और एसटी मिनिस्टर्स रहते हैं। ... (व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: لیکن یہ جموں-کشمیر پہلی ریاست ہے، جہاں پولیٹیکل رزرویشن ہونے کے بغیر سات سے آٹھ ایس سی اور ایس ٹی منسٹرس رہتے ہیں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री अमित शाह: क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि पूरे देश में से इसी तर्ज पर रिजर्वेशन हटा लिया जाए? ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: पिछले 12 साल से कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर ...(व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: پچھلے بارہ سال سے کانگریس کا ہی چیف منسٹر...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... What is your clarification? You are being clarified instead of asking. ...(Interruptions)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि इसी तर्ज पर पूरे देश से रिज़र्वेशन हटा लिया जाए? ...(व्यवधान)... क्या कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... सर, पोलिटिकल रिज़र्वेशन जम्मू-कश्मीर के ट्राइबल्स का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए और उनको वह अधिकार 370 हटने से ही मिलेगा। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: What is the clarification you want?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: दूसरा, ...(व्यवधान)... नहीं सर, गलत रिपोर्ट दी है। ...(व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: دوسرا،...(مداخلت).... نہی سر، غلط رپورٹ دی ہے۔...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...(Interruptions)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपने कहा कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना हमने -- मिस्टर चिदम्बरम या मिस्टर सिब्बल ने यह पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में आपने जितने भी ये कदम उठाए, उसके लिए आपने क्या कंसल्टेशन की? अब मैं आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट और पार्टी की तरफ से मैं negotiation कर रहा था। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के एमएलएज़, मिनिस्टर्स और एमपीज़ के साथ हमारी तकरीबन 20 मीटिंग्स हुई। ...(व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد: آپ نے کہا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ ہم نے - مسٹر چدمبرم علی مسٹر سبل نے یہ پوچھا تھا کہ جموں کشمیر میں آپ نے جتنے بھی قدم اٹھائے، اس کے لئے آپ نے کئی کنسلٹیشن کی؟ اب میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بارے میں بتاؤں گا، کیوں کہ گورنمنٹ اور پارٹی کی طرف سے میں negotiation کر رہا تھا۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے اے۔ای۔ای، منسٹرس اور اے۔ای۔ای کے ساتھ ہماری تقریباً بیس مٹنگس ہوئی۔...(مداخلت)...

श्री सभापति: नहीं, वह तो ठीक है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: एक साल तक बराबर मीटिंग्स हुई।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

† جناب غلام نبی آزاد : ایک سال تک برابر مٹنگس ہوئیں۔

MR. CHAIRMAN: You are trying to respond to him. There is no need to discuss it further. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जब आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों के एमएलएज़ और एमपीज़ ने कहा कि हम केन्द्र पर छोड़ते हैं, तब हमने किया। ...*(व्यवधान)*...

† جناب غلام نبی آزاد : جب آندھرا پردیش اور تلنگانہ، دونوں کے اے۔ای۔ای اور اے۔پی۔ای نے کہا کہ ہم کنٹر پر چھوڑتے ہیں، تب ہم نے کی۔...*(مداخلت)*...

MR. CHAIRMAN: Ghulam Nabiji, please. Prof. Manoj Jha. ...*(Interruptions)*... Shri Ghulam Nabi Azad, please. If everybody starts giving their views, then we cannot move.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: तीसरा, यह कहा गया कि वहाँ कोई होटल नहीं बना सकता। ...*(व्यवधान)*... वहाँ सबसे बड़ा होटल आज से 70 साल पहले, आज़ादी के बाद होटल ओबेराय बना था। ...*(व्यवधान)*... आज भी वहाँ जो बड़ा फाइव स्टार होटल है, वह ललित का है, आउटसाइटर का है। ...*(व्यवधान)*...

† جناب غلام نبی آزاد : تیسرا، یہ کہا گیا کہ وہاں کوئی ہوٹل نہیں بنا سکتا۔...*(مداخلت)*... وہاں سب سے بڑا ہوٹل آج سے ستر سال پہلے، آزادی کے بعد ہوٹل اوبرائے بنا تھا۔...*(مداخلت)*... آج بھی وہاں جو بڑا فائیو اسٹار ہوٹل ہے، وہ لٹ کا ہے، آؤٹ سائڈر کا ہے۔...*(مداخلت)*...

MR. CHAIRMAN: I have called Prof. Jha. What is your point of order? ...*(Interruptions)*... Please, let me make one thing clear. After the Minister's reply, any Member can ask for clarification. They cannot give clarification. If they start giving clarification, then others would ask questions.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, if wrong statements are made, they have to be corrected.

MR. CHAIRMAN: That is what I am saying. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यह कहा गया कि वहाँ बाहर से कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता

है। ...*(व्यवधान)*... वहाँ कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, होटल खोल सकता है। ...*(व्यवधान)*... यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)*...

† جناب غلام نبی آزاد : جی کہا گئی کہ وہاں بابر سے کوئی انڈسٹری نہی لگا سکتا ہے
 ...*(مداخلت)*... وہاں کوئی بھی انڈسٹری لگا سکتا ہے، بوٹل کھول سکتا ہے۔ ...*(مداخلت)*... جی
 غلط بات ہے۔ ...*(مداخلت)*...

MR. CHAIRMAN: You may have your opinion. The Andhra Pradesh and Telangana issue is a matter of history now. Everybody knows that. Prof. Jha, what is your point of order? ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I wish to make just a small submission under Rule 234. Reference was made to Pandit Nehru and Sardar Patel and it is going on the record of the House. I would make a request. Sardar Patel's biography ...

श्री अमित शाह: सर, इनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: He is just making a suggestion to me.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I would say that the House should set the records straight. I have certain papers. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I would look into that. ...*(Interruptions)*... मंत्री जी, अब आप यह सेकेंड बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री अमित शाह: सर, मैं इनको ज़रा जवाब दे दूँ।

श्री सभापति: क्या?

श्री अमित शाह: इन्होंने जो दोनों मुद्दे उठाए हैं। सर, दो मिनट मुझे भी दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: I have no problem.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, चिदम्बरम साहब ने कहा कि हमारे manifesto में है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गत चुनाव 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए और इस चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत से आए हैं, मगर यह हमारे manifesto में आज से नहीं है। जब हम पार्लियामेंट तो क्या, जब हम municipality में भी नहीं जीतते थे, तब भी manifesto में इसलिए रखते थे, क्योंकि हम मानते थे कि यह गलत रास्ता है और गलत रास्ते पर देश 70 साल तक चला, इसलिए आज मौका आया है इसको उठाने का।

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री अमित शाह]

दूसरी बात यह है कि आज़ाद साहब ने कहा कंसल्टेशन ...(व्यवधान)... सर, लद्दाख को यू.टी. ...(व्यवधान)... एक मिनट, ऐसे नहीं होता है।

श्री सभापति: प्लीज़, आप बैठिए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन कहां हुआ।

श्री सभापति: आपको कुछ प्रॉब्लम है। If the hon. Member has any health problem, he may leave. ...(Interruptions)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, लद्दाख यू.टी. की मांग ढेर सारे वर्षों से... आज़ाद साहब वहां स्वयं इंटरलॉक्यूटर बनकर मंत्री के नाते गए थे। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, लेह की, लद्दाख नहीं ...(व्यवधान)...

† جناب غلام نبی آزاد : سر، لہہ کی، لداخ کی --- (مداخلت)---

श्री अमित शाह: मान्यवर, लेह और लद्दाख दोनों की ...(व्यवधान)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Leh is different; Kargil is different. ...(Interruptions)... Kargil people are anti-UT and Leh people are pro-UT. ...(Interruptions)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, कंसल्टेशन करते-करते 70 साल में स्थिति ऐसी हो गई कि कंसल्टेशन किसके साथ करना है, वहां पर भी असमंजस हो गया, इतनी स्थिति बिगड़ी। सर, ललित का जो उदाहरण देते हैं, ललित को भी वहां किसी स्थानीय बाशिंदे को खड़ा करना पड़ा, उसके नाम से होटल लेना पड़ा।

MR. CHAIRMAN: I shall put the first Resolution moved by the hon. Minister to vote. The question is:

That this House recommends the following public notification to be issued by the President of India under Article 370 (3):

'In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 370 read with clause (1) of Article 370 of the Constitution of India, the President, on the recommendation of the Parliament, is pleased to declare that, as from (*date) all clauses of the said Article 370 shall cease to be operative except clause (1) thereof which shall read as under, namely:—

*date means the date on which the President of India signs the Declaration and published in the official Gazette.

"All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in Article 152 or Article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgement, ordinance, order, byelaw, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under article 363 or otherwise."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the second Resolution moved by the hon. Minister to vote. The question is:

"That the President of India has referred the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 to this House under the proviso to Article 3 of the Constitution of India for its views as this House is vested with the powers of the State Legislature of Jammu and Kashmir, as per proclamation of the President of India dated 19th December, 2018. This House resolves to express the view to accept the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the reorganization of the existing State of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, I have asked for ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No; I have already moved ahead. ...*(Interruptions)*... No further requests can be entertained. ...*(Interruptions)*... All the Members should take their

[Mr. Chairman]

respective places. ...*(Interruptions)*..., Dasguptaji, I have told you; I am not accepting it. I have already moved on to the Reorganisation Bill.

SHRI ANAND SHARMA: We have given notice. It was given in time.

श्री सभापति: आप लोग एक मिनट के लिए बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए। Shri Anand Sharma, Shri Derek O'Brien, Shri Tiruchi Siva, Shri Majeed Memon, Shri K.K. Ragesh, Shri T.K. Rangarajan, Shri Jose K. Mani and some other Members of the Rajya Sabha have submitted notices disapproving the Statutory Resolutions moved by the Minister of Home Affairs on 5th August, 2019 recommending issuance of Public Notification by the hon. President of India under Article 373 read with Clause (1) of the Article 370. In this connection, it may be stated ...*(Interruptions)*... Please, I would then have to name people. Don't force me to do it. I am on a very serious Business. In this connection, it may be stated that there is no provision for disapproving a Statutory Resolution moved under Article 373 of the Constitution of India. The Resolutions moved by the Government will be put to vote. It will be either carried in the House or rejected. The Members will have the option to vote against the Resolution when it will be put to vote. However, the Members could have given amendments subject to Rule 231 (2), that is, the Amendments will not have the effect of a negative vote. Do you understand now? I have gone to the other one. Lobbies are cleared. While, the voting process is on, I request all the Members not to speak among themselves because the attention will drift and even if a small mistake happens, it will be a historical mistake. That is why, time and again, I tell everybody, please be there in your respective seats.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, what about those Members, who have not been given their Division Nos.?

MR. CHAIRMAN: I am clarifying it. Those Members who have not been given their Division Nos., earlier, I think there are 11 Members, they will be given slips and they can vote through slips. The Secretary-General will now explain the voting procedure.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, you are aware that while most of the Members have their seats, Division Nos. in the House, eleven newly elected Members do not have a seat number allotted to them as yet. Therefore, even though today's voting would be through automatic recording machine, the 11 newly elected Members will cast their votes using division slips, only those eleven Members.

MR. CHAIRMAN: Please, this is for the Reorganisation Bill. The Reservation Bill is already over.

SECRETARY-GENERAL: The eleven Members —I am mentioning their names to whom the officials will give a slip —are Shri Ram Vilas Paswan, Shri S. Jaishankar, Shri Ashwini Vaishnaw, Shri Jugalsinh Mathurji Lokhandwala, Shri N. Chandrasegharan, Shri Muhammathjohn, Shri M. Shanmugam, Shri P. Wilson, Shri Vaiko and Dr. Anbumani-Ramadoss. The voting slips to these Members will be distributed by the officials of the Secretariat.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there seems to be some technical problem. Now, slips will be given to all the Members. They have to register their vote on the slip, like they have done earlier. Slips may be distributed.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to provide for the reorganization of the existing State of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The House divided.

MR. CHAIRMAN:

Ayes : 125

Noes : 61

Abstentions : 1

AYES-125

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajpai, Dr. Ashok
Balasubramoniyam, Shri S. R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Chandrasegharan, Shri N.
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chowdary, Shri Y. S.
Daimary, Shri Biswajit
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh
Dhoot, Shri Rajkumar
Dudi, Shri Ram Narain
Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh
Ganguly, Shrimati Roopa
Gehlot, Shri Thaawarchand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Gokulakrishnan, Shri N.
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Gupta, Shri Narain Dass
Gupta, Shri Sushil Kumar
Hembram, Shrimati Sarojini
Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil
Jaishankar, Shri S.
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Kakade, Shri Sanjay Dattatraya
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Kardam, Shrimati Kanta
Kashyap, Shri Ram Kumar
Kom, Shrimati M. C. Mary
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji
Mahatme, Dr. Vikas
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Manhas, Shri Shamsher Singh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Misra, Shri Satish Chandra
Mohammedjan, Shri A.
Mohapatra, Dr. Raghunath
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Oraon, Shri Samir
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandey, Ms. Saroj
Paswan, Shri Ram Vilas
Patnaik, Shri Amar
Patra, Shri Sasmit
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Puri, Shri Hardeep Singh
Rajaram, Shri
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ram Shakal, Shri
Ramesh, Shri C. M.
Rane, Shri Narayan
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rao, Shri Garikapati Mohan
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri V. Lakshmikantha
Raut, Shri Sanjay
Reddy, Shri V. Vijayasai
Rupala, Shri Parshottam
Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Selvaraj, Shri A. K.
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Amar
Singh, Chaudhary Birender
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri K. Bhabananda
Singh, Shri Sanjay
Singh, Shri Veer
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Rakesh
Soni, Shri Kailash
Subhash Chandra, Dr.
Suresh Gopi, Shri
Swain, Shri Narendra Kumar
Swamy, Dr. Subramanian
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Dr. C.P.
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vaithilingam, Shri R.
Vats, Dr. D.P.
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.
Verma, Shri Ramkumar
Vijayakumar, Shri A.
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Harnath Singh

NOES- 61

Abdul Wahab, Shri
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Bachohan, Shrimati Jaya
Baidya, Shrimati Jharna Das
Bajwa, Shri Partap Singh
Bharathi, Shri R. S.
Bharti, Shrimati Misha
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Ripun
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chidambaram, Shri P.
Dullo, Shri Shamsheer Singh
Elangovan, Shri T. K. S.
Fernandes, Shri Oscar
Gowda, Prof. M. V. Rajeev
Gupta, Shri Prem Chand

Hanumanthaiah, Dr. L.
Hariprasad, Shri B. K.
Hussain, Shri Syed Nasir
Jha, Prof. Manoj Kumar
Kareem, Shri Elamaram
Ketkar, Shri Kumar
Khan, Shri Javed Ali
Mani, Shri Jose K.
Mistry, Shri Madhusudan
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Rajmani
Punia, Shri P. L.
Ragesh, Shri K. K.
Ramamurthy, Shri K. C.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rathwa, Shri Naranbhai J.
Ravi, Shri Vayalar
Selja, Kumari
Shanmugam, Shri M.
Sibal, Shri Kapil
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K.T.S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yajnik, Dr. Ameer

Abstained-01

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 103 and the First to Fifth Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.
